



अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर (जोन किशनगढ़)

राजस्थान सरकार

क्रमांक: LU2012/ADA/2025-26/101815

दिनांक: 15/04/2026

विषय: - राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :

श्री HAPPY REALEARTH LLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP) AUTHORIZED SIGNATORY ROOPCHAND DIYA पुत्र श्री SHIVRAJ जाति JAT निवासी 40 SHREEJI ENCLAVE JAIRAMPURA ROAD NEENDERJAIPUR RAJASTHAN

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्र (हिंटे)
1.	चांदियावास, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTHLLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1230	3200	0.32
2.	चांदियावास, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTHLLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1231	1100	0.11
3.	चांदियावास, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTHLLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1243/1568	400	0.04
4.	चांदियावास, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTHLLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1245	3000	0.3
5.	चांदियावास, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTHLLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1247	4900	0.49
6.	चांदियावास, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTHLLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1248	4900	0.49
7.	चांदियावास, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTHLLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1249	3600	0.36
8.	चांदियावास, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTHLLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1824/1250	3362	0.3362
9.	चांदियावास, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTHLLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1252	2800	0.28
10.	चांदियावास, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTHLLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1253	5800	0.58
11.	चांदियावास, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTHLLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1254	3500	0.35
12.	चांदियावास, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTHLLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1283	4500	0.45
13.	चांदियावास, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTHLLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1285	10500	1.05
14.	चांदियावास, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTHLLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1286	3500	0.35
15.	चांदियावास, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTHLLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1298	3300	0.33
16.	चांदियावास, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTHLLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1299	4300	0.43
17.	चांदियावास, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTHLLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1818/1301	1000	0.1
18.	चांदियावास, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTHLLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1820/1302	1480	0.148
19.	चांदियावास, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTHLLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1822/1304	1820	0.182

20.	चांदियावास, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTHLLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1311	3700	0.37
21.	चांदियावास, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTHLLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1313	7100	0.71
22.	चांदियावास, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTHLLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1314	5500	0.55
23.	चांदियावास, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTHLLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1319	6800	0.68
24.	चांदियावास, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTHLLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1320	5200	0.52
26.	चांदियावास, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTHLLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1322	5200	0.52
27.	चांदियावास, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTHLLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1323	1200	0.12
28.	चांदियावास, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTHLLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1324	1600	0.16
29.	चांदियावास, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTHLLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1310/1344	400	0.04
30.	चांदियावास, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTHLLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1312/1343	800	0.08
				कुल	10.4462

- आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की -मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 को तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिवृत्ति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
- अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिवृत्ति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जावेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
- आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगति विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जावेगा।
- इन विनियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 15.04.2026 को पारित किया गया है।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन किशनगढ़)
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर



कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर



Web Site - ada.rajasthan.gov.in
Tel. No. - 0145-2627748, 2627749

टोडरमल लेन, सिविल लाईन्स, अजमेर

E-Mail - ajmerada@gmail.com

क्रमांक: अ.वि.प्रा./प.3/नियोजन शाखा/2026-27/M-1289/482

दिनांक: 06-07-2026

निमित्त:-

मैसर्स हैप्पी रियल अर्थ एल.एल.पी जरिये अधिकृत
सिगनेट्री श्री रूपचन्द डिया पुत्र श्री शिवराज
निवासी:- 40, श्री जी एनक्लेव, जयरामपुरा रोड, नौदड़,
जयपुर।

विषय:- राजस्व ग्राम चांदियावास के खसरा संख्या 1230, 1231, 1243/1568, 1245, 1247, 1248, 1249, 1824/1250, 1252, 1253, 1254, 1283, 1285, 1286, 1298, 1299, 1818/1301, 1820/1302, 1822/1304, 1311, 1313, 1314 1319, 1320, 1322, 1323, 1324, 1310/1344, 1312/1343 रकबा 104462.00 ब.मी. भूमि का टाउनशिप पॉलिसी 2024 के तहत आवासीय योजना ले-आउट प्लान स्वीकृति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा राजस्व ग्राम चांदियावास के खसरा संख्या 1230, 1231, 1243/1568, 1245, 1247, 1248, 1249, 1824/1250, 1252, 1253, 1254, 1283, 1285, 1286, 1298, 1299, 1818/1301, 1820/1302, 1822/1304, 1311, 1313, 1314, 1319, 1320, 1322, 1323, 1324, 1310/1344, 1312/1343 रकबा 104462.00 ब.मी. भूमि हेतु प्रस्तुत आवासीय योजना मानचित्र को भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 05/2026वीं बैठक दिनांक 26.05.2026 में प्रस्ताव संख्या 16 द्वारा अनुमोदित किया गया है। उपरोक्त ले-आउट के क्रियान्वयन हेतु निम्न शर्तों की पूर्ण पालना किया जाना अनिवार्य होगा :-

1. आवेदित भूमि में सड़क मार्गाधिकार में कोई निर्माण नहीं होने की सुनिश्चितता उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावेगी।
2. अनुमोदित मानचित्रानुसार मौके पर सुविधा क्षेत्र, सड़क, पार्क इत्यादि के डिमार्केशन की सुनिश्चितता जोन/प्रार्थी के स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान संबंधित अग्रिम कार्यवाही प्रार्थी द्वारा की जाये।
3. आवेदित भूमि का क्रियान्वयन, स्वीकृत योजना मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा एवं टाउनशिप पॉलिसी-2024 के समस्त प्रावधानों की सुनिश्चितता आवेदक द्वारा सम्पूर्ण रूप से किया जाना अनिवार्य होगा।
4. विकासकर्ता के स्तर से टाउनशिप पॉलिसी 2024 के प्रावधान 2.8 (iv) में निर्धारित समयावधि में विकास कार्य पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
5. योजना के भूखण्डों पर सैटबैक व अन्य मानदण्ड प्रचलित भवन विनियम के प्रावधानानुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।
6. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सड़क के सहारे शिफ्ट किया जाये जिसकी सुनिश्चितता उपरान्त जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावेगा।
7. योजना में सृजित भूखण्डों का पट्टा विलेख हेतु आवेदन से पूर्व समस्त बकाया राशि (यदि कोई देय हो) प्राधिकरण कोष में जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।
8. स्वीकृत योजना मानचित्र प्राप्त होने के पश्चात रेरा रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य होगा व रेरा रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति प्राधिकरण में उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही पट्टा विलेख जारी किये जावेगे। इसी क्रम में योजना में सृजित भूखण्डों के स्थल मानचित्रों में रेरा रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
9. टाउनशिप पॉलिसी-2024 के प्रावधान अनुसार कुल विक्रय योग्य क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत भूखण्डों को रहन रखे जाने हेतु पट्टो के आवेदन से पूर्व शपथ पत्र मय भूखण्डों की सूची कार्यालय में प्रेषित की जानी होगी।
10. योजना मानचित्र में केवल तकनीकी अनुमोदन दिया जा रहा है, जिसे स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज नहीं माने जाये।
11. उक्त प्रस्तावित भूमि से संबंधित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी स्वयं की होगी। इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे की प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है तथा किसी न्यायालय में कोई वाद लंबित नहीं है, इस बाबत जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जाये।
12. प्रस्तावित भूमि के संबंध में आवेदक द्वारा कोई गलत कथन अथवा सारवान तथ्य छुपाया जाना सिद्ध पाया जाये तो उक्त स्थिति में यह स्वीकृति स्वतः ही निष्प्रभावी मानी जावेगी।
13. प्राधिकरण की 05/2026 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण अनुसार समस्त शर्तों की पालना प्रार्थी के स्तर से किया जाना अपेक्षित रहेगा।

स्वीकृत ले-आउट प्लान की प्रमाणित प्रतिलिपि की प्रति संलग्न कर प्रेषित हैं।

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर।

दिनांक: 06-07-2026

क्रमांक: अ.वि.प्रा./प.3/नियोजन शाखा/2026-27/482

प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त (किशनगढ़) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
2. रक्षित पत्रावली के साथ ले-आउट प्लान की एक प्रति संलग्न कर ड्राईंग रिकॉर्ड में संधारण हेतु।

RajKaj Ref No.:
23227647

M e-Sign



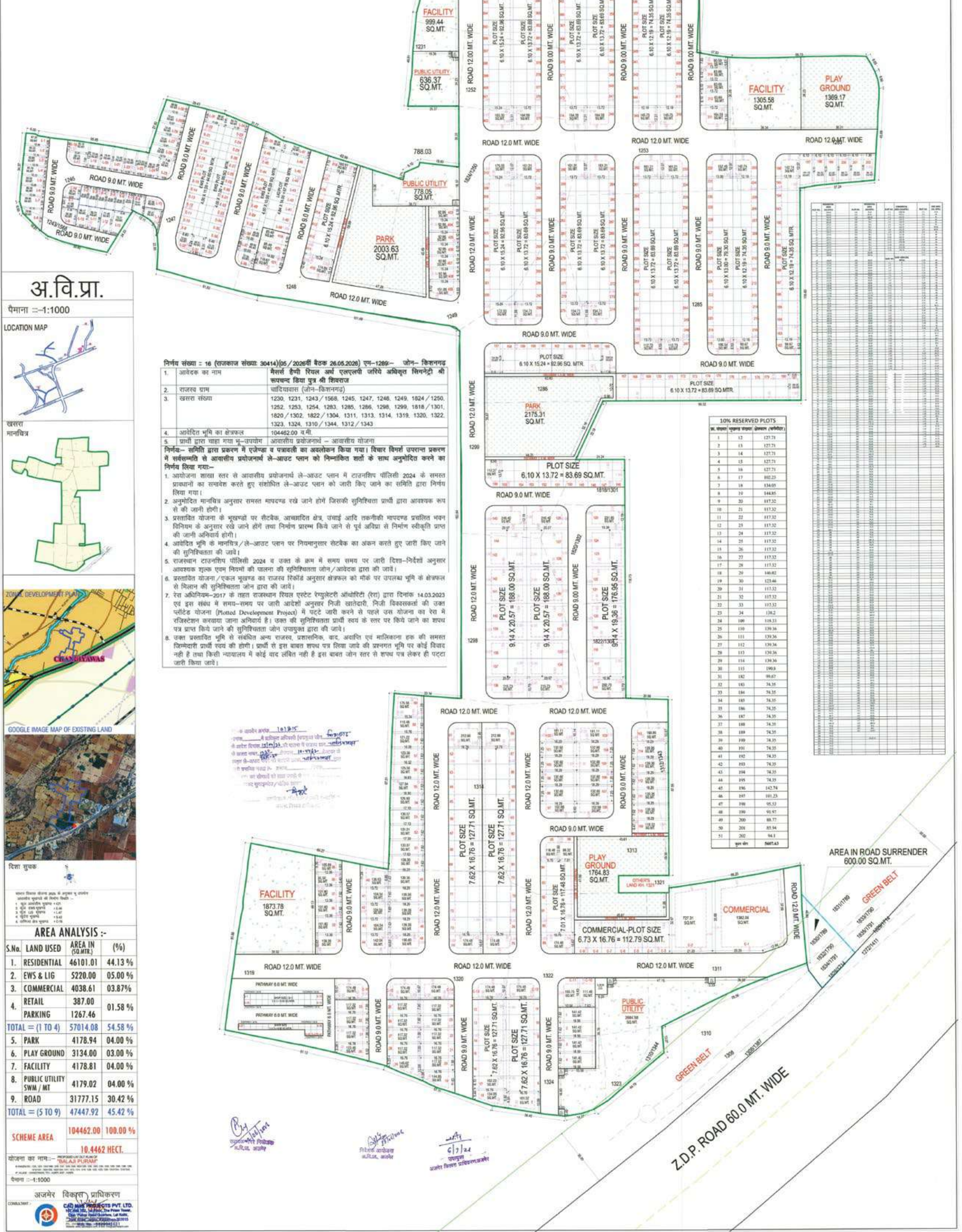
Signature valid

Digitally signed by Suraj Chauhan
Designation: Director, Planning
Date: 2026.07.08 12:02:17 IST
Reason: Approved

PROPOSED LAY OUT PLAN OF "BALAJI PURAM"

IN KHASRA NO.- 1230, 1231, 1243/1568, 1245, 1247, 1248, 1249, 1824/1250, 1252, 1253, 1254, 1283, 1285, 1286, 1298, 1299, 1818/1301, 1820/1302, 1822/1304, 1311, 1313, 1314, 1319, 1320, 1322, 1323, 1324, 1310/1344, 1312/1343.
AT VILLAGE :- CHANDIYAWAS, TEH.- AJMER, DIST.- AJMER.

RERA NO. :- RAJ/P/2026/5204



अ.वि.प्रा.

पैमाना :- 1:1000

LOCATION MAP

खसरा मानचित्र

ZONAL DEVELOPMENT PLAN

GOOGLE IMAGE MAP OF EXISTING LAND

दिशा सूचक

- निर्णय संख्या :- 16 (राजकाज संख्या 30414)/06/2026 दि. 26.05.2026 एम-1289- जेन-किशनगढ़
- आवेदक का नाम: मेसर्स हैप्पी रियल एंज एलएलपी जयपुर अधिभूत सिमेंटरी श्री कृष्ण चिन्ता एच.डी. सिविल
 - राजस्व घात: चान्दियावास (जेन-किशनगढ़)
 - खसरा संख्या: 1230, 1231, 1243/1568, 1245, 1247, 1248, 1249, 1824/1250, 1252, 1253, 1254, 1283, 1285, 1286, 1298, 1299, 1818/1301, 1820/1302, 1822/1304, 1311, 1313, 1314, 1319, 1320, 1322, 1323, 1324, 1310/1344, 1312/1343
 - आवेदित भूमि का क्षेत्रफल: 104462.00 वर्ग मी.
 - प्राप्ति द्वारा प्राप्त भूमि-उपयोग: आवासीय प्रयोजनार्थ - आवासीय योजना
- निर्णय- समिति द्वारा प्रकरण में एजेन्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरान्त प्रकरण में सर्वसम्मति से आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान को निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-
- अयोजना शास्त्र स्तर से आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान में टाउनशिप पॉलिसी 2024 के समस्त प्रावधानों का समावेश करते हुए संशोधित ले-आउट प्लान को जारी किए जाने का समिति द्वारा निर्णय लिया गया।
 - अनुमोदित मानचित्र अनुसार समस्त मापदण्ड रखे जाने होंगे जिसकी सुनिश्चिता प्राप्ति द्वारा आवश्यक रूप से की जानी होगी।
 - प्रस्तावित योजना की भूखण्डों पर सैटबैक, आकाशवाटि क्षेत्र, उचाई आदि तकनीकी मापदण्ड प्रस्तुत भवन विनियम के अनुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व अधिप्रा से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।
 - आवेदित भूमि के मानचित्र/ले-आउट प्लान पर नियमानुसार सैटबैक का अंकन करते हुए जारी किए जाने की सुनिश्चिता की जावे।
 - राजस्व टाउनशिप पॉलिसी 2024 व उक्त के क्रम में समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों अनुसार आवश्यक शुल्क एवं नियमों की पालना की सुनिश्चिता जेन/आवेदक द्वारा की जावे।
 - प्रस्तावित योजना/एकल भूखण्ड का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार क्षेत्रफल को मी.के. पर उपलब्ध भूमि के क्षेत्रफल से निसर्ग की सुनिश्चिता जेन द्वारा की जावे।
 - रेरा अधिनियम-2017 के तहत राजस्व रियल एस्टेट रेगुलेशन ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकसकता की उका प्लॉट डेवेलपमेंट (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले उस योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है। उक्त की सुनिश्चिता प्राप्ति स्वयं के स्तर पर किये जाने का शपथ पत्र प्राप्त किये जाने की सुनिश्चिता जेन उपयुक्त द्वारा की जावे।
 - उक्त प्रस्तावित भूमि से संबंधित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाधि एवं मासिकाना इक की समस्त जिम्मेदारी प्राप्ति स्वयं की होगी। प्राप्ति से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे की प्रसंगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है तथा किसी न्यायालय में कोई वाद दायित नहीं है इस बाबत जेन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

10% RESERVED PLOTS

क्र. संख्या	प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
1	12	127.71
2	13	127.71
3	14	127.71
4	15	127.71
5	16	127.71
6	17	862.23
7	18	134.05
8	19	144.85
9	20	117.32
10	21	117.32
11	22	117.32
12	23	117.32
13	24	117.32
14	25	117.32
15	26	117.32
16	27	117.32
17	28	117.32
18	29	146.02
19	30	123.46
20	31	117.32
21	32	117.32
22	33	117.32
23	34	118.2
24	35	124.33
25	36	129.36
26	37	129.36
27	38	129.36
28	39	129.36
29	40	129.36
30	41	129.36
31	42	129.36
32	43	129.36
33	44	129.36
34	45	129.36
35	46	129.36
36	47	129.36
37	48	129.36
38	49	129.36
39	50	129.36
40	51	129.36
41	52	129.36
42	53	129.36
43	54	129.36
44	55	129.36
45	56	129.36
46	57	129.36
47	58	129.36
48	59	129.36
49	60	129.36
50	61	129.36
51	62	129.36
52	63	129.36
53	64	129.36
54	65	129.36
55	66	129.36
56	67	129.36
57	68	129.36
58	69	129.36
59	70	129.36
60	71	129.36
61	72	129.36
62	73	129.36
63	74	129.36
64	75	129.36
65	76	129.36
66	77	129.36
67	78	129.36
68	79	129.36
69	80	129.36
70	81	129.36
71	82	129.36
72	83	129.36
73	84	129.36
74	85	129.36
75	86	129.36
76	87	129.36
77	88	129.36
78	89	129.36
79	90	129.36
80	91	129.36
81	92	129.36
82	93	129.36
83	94	129.36
84	95	129.36
85	96	129.36
86	97	129.36
87	98	129.36
88	99	129.36
89	100	129.36
90	101	129.36
91	102	129.36
92	103	129.36
93	104	129.36
94	105	129.36
95	106	129.36
96	107	129.36
97	108	129.36
98	109	129.36
99	110	129.36
100	111	129.36
101	112	129.36
102	113	129.36
103	114	129.36
104	115	129.36
105	116	129.36
106	117	129.36
107	118	129.36
108	119	129.36
109	120	129.36
110	121	129.36
111	122	129.36
112	123	129.36
113	124	129.36
114	125	129.36
115	126	129.36
116	127	129.36
117	128	129.36
118	129	129.36
119	130	129.36
120	131	129.36
121	132	129.36
122	133	129.36
123	134	129.36
124	135	129.36
125	136	129.36
126	137	129.36
127	138	129.36
128	139	129.36
129	140	129.36
130	141	129.36
131	142	129.36
132	143	129.36
133	144	129.36
134	145	129.36
135	146	129.36
136	147	129.36
137	148	129.36
138	149	129.36
139	150	129.36
140	151	129.36
141	152	129.36
142	153	129.36
143	154	129.36
144	155	129.36
145	156	129.36
146	157	129.36
147	158	129.36
148	159	129.36
149	160	129.36
150	161	129.36
151	162	129.36
152	163	129.36
153	164	129.36
154	165	129.36
155	166	129.36
156	167	129.36
157	168	129.36
158	169	129.36
159	170	129.36
160	171	129.36
161	172	129.36
162	173	129.36
163	174	129.36
164	175	129.36
165	176	129.36
166	177	129.36
167	178	129.36
168	179	129.36
169	180	129.36
170	181	129.36
171	182	129.36
172	183	129.36
173	184	129.36
174	185	129.36
175	186	129.36
176	187	129.36
177	188	129.36
178	189	129.36
179	190	129.36
180	191	129.36
181	192	129.36
182	193	129.36
183	194	129.36
184	195	129.36
185	196	129.36
186	197	129.36
187	198	129.36
188	199	129.36
189	200	129.36
190	201	129.36
191	202	129.36
192	203	129.36
193	204	129.36
194	205	129.36
195	206	129.36
196	207	129.36
197	208	129.36
198	209	129.36
199	210	129.36
200	211	129.36
201	212	129.36
202	213	129.36
203	214	129.36
204	215	129.36
205	216	129.36
206	217	129.36
207	218	129.36
208	219	129.36
209	220	129.36
210	221	129.36
211	222	129.36
212	223	129.36
213	224	129.36
214	225	129.36
215	226	129.36
216	227	129.36
217	228	129.36
218	229	129.36
219	230	129.36
220	231	129.36
221	232	129.36
222	233	129.36
223	234	129.36
224	235	129.36
225	236	129.36
226	237	129.36
227	238	129.36
228	239	129.36
229	240	129.36
230	241	129.36
231	242	129.36
232	243	129.36
233	244	129.36
234	245	129.36
235	246	129.36
236	247	129.36
237	248	129.36
238	249	129.36
239	250	129.36
240	251	129.36
241	252	129.36
242	253	129.36
243	254	129.36
244	255	129.36
245	256	129.36
246	257	129.36
247	258	129.36
248	259	129.36
249	260	129.36
250	261	129.36
251	262	129.36
252	263	129.36
253	264	129.36
254	265	129.36
255	266	129.36
256	267	129.36
257	268	129.36
258	269	129.36
259	270	129.36
260	271	129.36
261	272	129.36
262	273	129.36
263	274	129.36
264	275	129.36
265	276	129.36
266	277	129.36
267	278	129.36
268	279	129.36
269	280	129.36
270	281	129.36
271	282	129.36
272	283	129.36
273	284	129.36
274	285	129.36
275	286	129.36
276	287	129.36
277	288	129.36
278	289	129.36
279	290	129.36
280	291	129.36
281	292	129.36
282	293	129.36
283	294	129.36
284	295	129.36
285	296	129.36
286	297	129.36
287	298	129.36
288	299	129.36
289	300	129.36
290	301	129.36
291	302	129.36
292	303	129.36
293	304	129.36
294	305	129.36
295	306	129.36
296	307	129.36
297	308	129.36
298	309	129.36
299	310	129.36
300	311	129.36
301	312	129.36
302	313	129.36
303	314	129.36
304	315	129.36
305	316	129.36
306	317	129.36
307	318	129.36
308	319	129.36
309	320	129.36
310	321	129.36
311	322	129.36
312	323	129.36
313	324	129.36
314	325	129.36
315	326	129.36
316	327	129.36
317	328	129.36
318	329	129.36
319	330	129.36
320	331	129.36
321	332	129.36
322	333	129.36
323	334	129.36
324	335	129.36
325	336	129.36
326	337	129.36
327	338	129.36
328	339	129.36
329	340	1

PROPOSED LAY OUT PLAN OF
"BALAJI PURAM"
RERA NO.- RAJ/P/2026/5204



IN KHASRA NO

1230, 1231, 1243/1568, 1245, 1247, 1248, 1249, 1824/1250, 1252, 1253, 1254, 1283, 1285, 1286,
1298, 1299, 1818/1301, 1820/1302, 1822/1304, 1311, 1313, 1314, 1319, 1320, 1322, 1323, 1324,
1310/1344, 1312/1343.

AT VILLAGE :- CHANDIYAWAS, TEH. & DIST. :- AJMER.



SCAN FOR WEBSITE



SCAN TO PAY



SCAN FOR RERA



REGISTRATION CERTIFICATE OF PROJECT

This Certificate of registration is hereby granted under Section 5 of the Real Estate(Regulation and Development) Act, 2016 to the following project:-

1. Project registration number: **RAJ/P/2026/5204**
2. Details of Project: **BALAJI PURAM , at Plot/Khasra No.Khasra No – 1230, 1231, 1243/1568, 1245, 1247, 1248, 1249, 1824/1250, 1252, 1253, 1254, 1283, 1285, 1286, 1298, 1299, 1818/1301, 1820/1302, 1822/1304, 1311, 1313, 1314, 1319, 1320, 1322, 1323, 1324, 1310/1344 and 1312/1343 , Village- Chandiyawas , Chandiyawas , Ajmer - 305023 (Rajasthan)**
3. Details of promoter:Name of the firm/society/company/competent authority **HAPPY REALEARTH LLP**having its office address at **Khasra No. 156 , Hasampura Bas , Sanganer , Jaipur (Rajasthan) - 302026**
4. This registration is granted subject to the following conditons,namely:-
 - i. The promoter shall enter into an agreement for sale with the allottees as provided in Form-G;
 - ii. The promoter shall execute and register a conveyance deed in favour of the allottee for the apartment. Simultaneously he shall also execute and register the conveyance deed for the undivided proportionate title in the common areas to the association of the allottees or the competent authority,as the case may be,as per Section 17 of the Real Estate(Regulation and Development) Act, 2016;
 - iii. The promoter shall deposit seventy percent of the amounts realised by the promoter in a separate, account to be maintained in a shedule bank to cover the cost of construction and the land cost to be used only for that purpose as per subclause(D) of clause(1) of sub - Section(2) of Section 4 of the Real Estate(Regulation and Development) Act, 2016
 - iv. The registration shall valid upto **02-07-2032**(Estimated Finish Date) unless extended by the Real Estate Regulatory Authority in accordance with Section 6

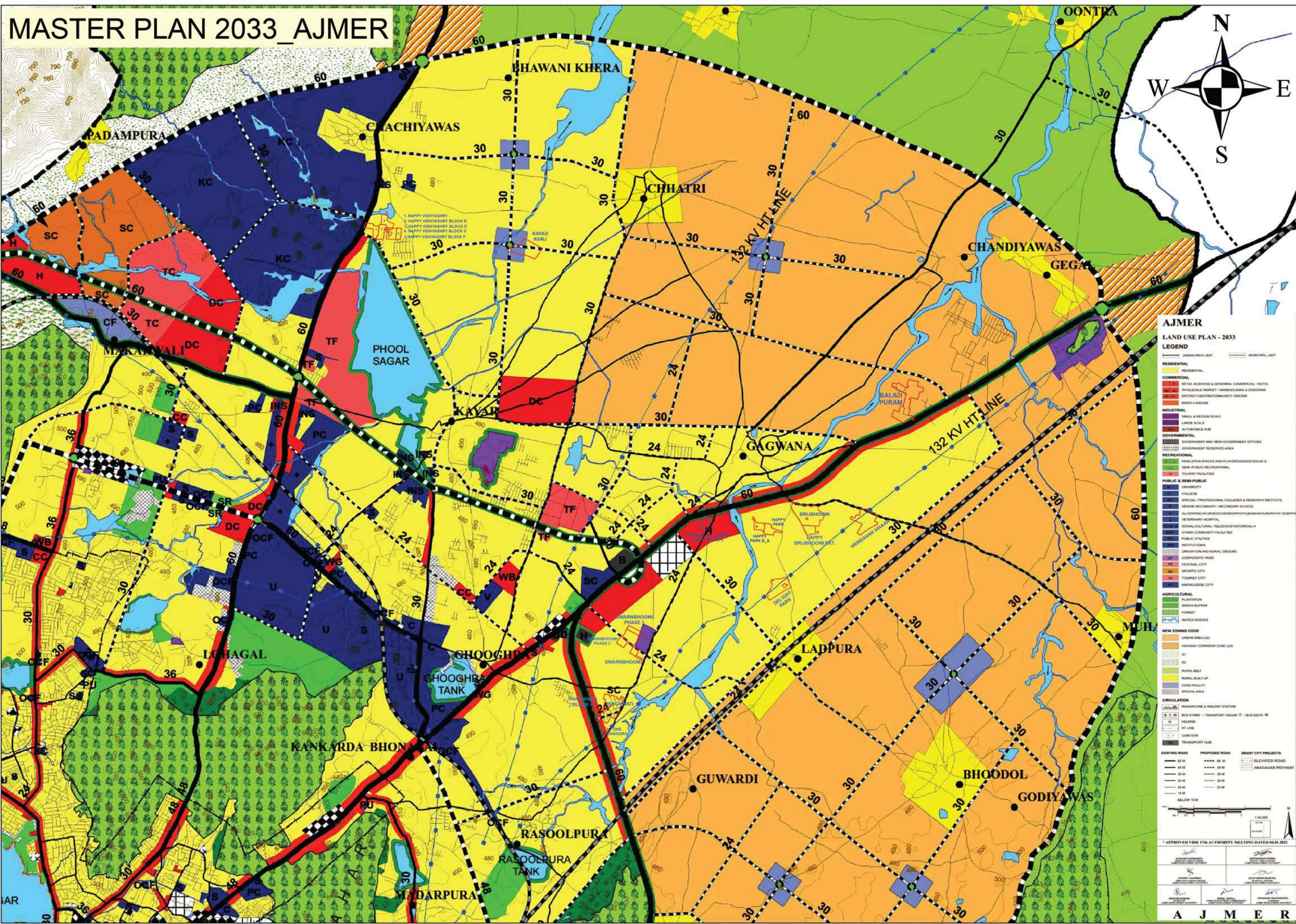
of the Real Estate(Regulation and Development) Act,2016 read with rule 7 of the Rajasthan Real Estate(Regulation and Development) Rules,2017;

- v. The promoter shall comply with the provisions of the Act and the rules and regulations made there under;
 - vi. The promoter shall not contravene the provisions of any other law for the time being in force in the area where the project is being developed.
5. If the above mentioned conditions are not fulfilled by the promoter, the Authority may take necessary action against the promoter including revoking the registration granted here in.
 6. If Applicable, it is the responsibility of the promoter to obtain the necessary extension of the time period indicated in Form-B regarding 'Date of Completion'.

This bears approval of Chairman,Rajasthan Real Estate Regulatory Authority(RERA)

Digitally signed by RAJIV JAIN
Designation: REGISTRAR
Date: 2026-07-09 11:18:06 IST
Location: Rera, Rajasthan

Digitally signed by RAJIV JAIN
Designation: REGISTRAR
Date: 2026-07-09 11:18:06 IST
Location: Rera, Rajasthan



MASTER PLAN 2033_AJMER

AJMER
LAND USE PLAN - 2033

LEGEND

RESIDENTIAL

COMMERCIAL

INDUSTRIAL

GOVERNMENT

RECREATIONAL

PUBLIC & SEMI-PUBLIC

AGRICULTURAL

NEW ZONING CODE

CIRCULATION

EXISTING ROAD

PROPOSED ROAD

SMART CITY PROJECTS

A J M E R

-